

**न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

**दांडिक प्रकरण कं.-257 / 12
संस्थापित दिनांक-17.07.2012**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर। <div style="text-align: right;">.....अभियोजन</div>
विरुद्ध
1- जहार सिंह पुत्र कोमल सिंह लोधी उम्र 30 साल निवासी - ग्राम चुरारी तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0 <div style="text-align: right;">.....आरोपीगण</div>

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 20.03.2017 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 324, 506बी, 341 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 28.06.2012 को समय रात्रि 10 बजे ग्राम चुरारी में फरियादी तुलाराम को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा तुलाराम को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं तुलाराम को संत्रासित कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं फरियादी का रास्ता रोककर गंतव्य दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी/आहत एवं अभियुक्त के मध्य दिनांक 20.10.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपी जहार सिंह को भा.द.वि की धारा 294, 506बी, 341 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी ने अपने मझले भाई विश्राम सिंह के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 28.06.2012 को फरियादी तथा जहार सिंह एवं गाँव के और भी लोग शादी में पंगत की परसाई करा रहे थे। फरियादी तथा जहार सिंह का पेंट खराब हो गया था तभी जहार सिंह उसे मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगा, गाँव वालों ने उसे समझा कर उसे घर भगा दिया और वह परस करने लगा और कुछ देर में ही जहार सिंह कुल्हाड़ी लेकर आया और सिर में मार दी। फरियादी का मझला भाई विश्राम थाने पर रिपोर्ट करने आने लगा तभी सामने कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो गया और बोला थाने पर रिपोर्ट करने गये तो आईन्दा जान से मारने की धमकी दी। वे लोग छिपकर थाने रिपोर्ट करने आये

है। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 28.06.2012 को सयम रात्रि 10 बजे ग्राम चुरारी में फरियादी तुलाराम को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। घटना के संबंध में तुलाराम अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी जहार सिंह को जानता है। घटना 4—5 साल पहले की होकर रात 9 बजे की है। घटना दिनांक को वह अमर सिंह की लडकी की शादी में खाना परोस रहा था और जहार सिंह भी खाना परोस रहा था। खाना परोसते समय उसकी सब्जि की बाल्टी गलती से जहार सिंह को लग गई थी जिससे उसका पैट खराब हो गया था इसी बात को लेकर जहार सिंह से उसकी गाली गलौच हो गई थी और धक्का मुक्की में गलती से उसकी बाल्टी फरियादी तुलाराम के उपर गिर जाने से उसे हल्की फुल्की चोट आ गई थी। इसके अलावा आरोपी ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की जिसके संबंध में तुलाराम द्वारा थाना चंदेरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना स्थल पर आई थी घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी. 2 उसकी निशानदेही पर तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी चोटों का शासकीय अस्पताल चंदेरी में इलाज कराया था और पूछताछ कर बयान लिये थे।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि जहार सिंह कुल्हाड़ी लेकर आया और सिर में मार दी थी। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग “जहार सिंह कुल्हाड़ी मार दी” पढकर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त रिपोर्ट एवं कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया इसका कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि

आरोपी से स्वेच्छया उसका राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि उसे जो सिर में चोट आई थी वह उसकी स्वयं की बाल्टी सिर में गिर जाने से आई थी। यह बात सही है कि आरोपी ने उसे कुल्हाड़ी नहीं मारी थी।

08— हरवान अ0सा02, संतोष अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनों में आरोपी जहार को जानने वाली बात बताई किन्तु उन्होंने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा हरवान अ0सा02, संतोष अ0सा03 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपी जहार द्वारा तुलाराम को सिर में कुल्हाड़ी से मारा गया था जिससे तुलाराम को खून निकल आया था। इस प्रकार घटना के फरियादी तुलाराम एवं चक्षुदर्शी साक्षी हरवान और संतोष ने आरोपी द्वारा तुलाराम के साथ कुल्हाड़ी से सिर में मारने वाली बात से स्पष्टतः इंकार किया है। इसके विपरीत फरियादी तुलाराम अ0सा01 ने स्वयं की बाल्टी सिर पर गिर जाने से सिर में चोट आना व्यक्त किया एवं आरोपी द्वारा कुल्हाड़ी से सिर में मारने वाली बात से इंकार किया है।

09— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 28.06.2012 को सयम रात्रि 10 बजे ग्राम चुरारी में फरियादी तुलाराम को धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः अभियुक्त जहार सिंह ग्राम चुरारी तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0 को भा.द.वि. की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे की कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे, अपील होने पर माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

11— अभियुक्त द्वारा अन्वेषण, जांच, विचारण के दौरान निरोध में विताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे

12— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

// 4 // दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-257 / 12